संखया- 34/2026/49-3099/81/2022-।/1474918

प्रेषक

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबंधक,
सहकारिता विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 23 सितम्बर, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन(के.60/रा.40-के.+रा.) योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1/763471/2026/लेखा-अ/2026-27, दिनांक 02.09.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से केन्द्र पुरोनिधानित योजना पैक्स का कम्प्यूटराईजेशन में द्वितीय मद सेंक्शन रू० 10,00,00,000/- (रु० दस करोड़ मात्र) का केन्दांश जारी किया गया है, जिसके सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रू0 6,66,66,667/- होती है। इस प्रकार केन्द्रांश एवं राज्यांश की कुल धनराशि रू0 16,66,66,667/- (रू० सोलह करोड़ छियासठ लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्र पुरोनिधानित पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखाशीर्ष 2425-सहकारिता, 108- अन्य सहकारी समितियों को सहायता, 01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 4008, 0101- पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन (के.60/रा.40-के.+रा.) 4008-UP254, 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)मद में प्राविधानित धनराशि रू0 9370.95 लाख (रूपये तिरानबे करोड़ सत्तर लाख पंचानबे हजार मात्र) के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि रूपये रू० 10,00,00,000/- (रूपये दस करोड मात्र) एवं राज्यांश की धनराशि रू0 रू0 6,66,66,667/- (रूपये छः करोड़ ,छियासठ लाख, छियासठ हजार, छः सौ सड़सठ मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 16,66,66,667/- (रू० सोलह करोड़ छियासठ लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित नियम/शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>नियम/शर्तें/प्रतिबन्ध-</u>

(1) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य

स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगें कि प्रश्नगत कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली गयी है। तदोपरांत ही अनुमोदित लागत के सापेक्ष ही निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, 30प्र0, लखनऊ एवं प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 कोऑपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ का होगा।

(5) योजनांतर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।

(6) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी प्रकार की दिवरावृत्ति न हो।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(8) स्वीकृत धनराशि में निर्माण कार्य सम्मिलित होने पर, उक्त पर व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा तथा धनराशि आवश्यकतानुसार चरणों में उपलब्ध करायी जायेगी।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्ही मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि से वस्तुओ एवं सेवाओं का क्रय अनिवार्य रूप से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संखया-57/18-2-2024- 97(ल030)/2016, दिनांक 26-11-2024 के अनुसार जेम पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने/गाइडलाइन्स में निहित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 16,66,66,667 (रुपये सोलह करोड़ छियासठ लाख छियासठ हजार छह सौ सड़सठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 018 लेखा शीर्ष 2425001080101 पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन (के.60/रा.40- के.+रा.) मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या- E-2-120-X-2026-27 दिनांक: 15-9-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह),
संयुक्त् सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1) महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज/लखनऊ।
2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3) अवर सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, अटल अक्षय उजा भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को उनके अर्द्धशा0 पत्र संख्या: R-11016/16/2023-CTP, दिनांक 31-08-2026 के क्रम में सूचनार्थ।
4) निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
5) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता वरिभाग, उ0प्र0 शासन।
6) साईबर ट्रेजरी, इंदिरा भवन, लखनऊ।
7) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8) अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(बैंकिंग), सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9) वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।
10) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।
11) वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।
12) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह),
संयुक्त् सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।